

क्रमांक एफ ( )उवसं/तकनिकी/2023-24/ 4605

दिनांक:- 01/01/23

निमित्त,

General Manager  
Wonder Cement Ltd.  
Jaisalmer Project  
Jaisalmer 345001

विषय :- Diversion of 7.3792 ha of forest land in favour of Wonder cement limited for Laying of Railway line for Private Siding for Mining The complete Project consist of Mining Operation, Clinker & Cement Production. That Total track Length is app 12.852 km out of which Forest ( Oran ) Land to be diverted is 2295.15mt & 164.60 mt in two stretches. The proposed track will pass from Sonu, Leela Parewar & Parewar village of Jaisalmer, Rajasthan. मैं वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के बाबत।

प्रसंग:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय गांधी नगर का पत्र संख्या- 8 बी/राज/11/27/2023-JPR दिनांक 04.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि Wonder cement limited for Laying of Railway line for Private Siding for Mining The complete Project consist of Mining Operation, Clinker & Cement Production The complete Project consist of Mining Operation, Clinker & Cement Production. That Total track Length is app 12.852 km out of which Forest ( Oran ) Land to be diverted is 2295.15mt & 164.60 mt in two stretches. The proposed track will pass from Sonu, Leela Parewar & Parewar village of Jaisalmer, Rajasthan के निर्माण हेतु 7.3792 हैक्टर Forest ( Oran ) Land के प्रत्यावर्तन के लिए जैसलमेर वन मण्डल के अन्तर्गत 7.3792 हैक्टर डीम्ड Forest ( Oran ) Land प्रत्यावर्तन एवं 24 वृक्षों के पातन की, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करावे:-

| क्र.म | विवरण                                                                                                                                                                       | हैक्टर/संख्या | दर    | राशि    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| 1.    | वन मण्डल जैसलमेर के अंतर्गत आने वाले प्रभावित ओरण (डिम्ड फॉरेस्ट) के प्रस्ताव अनुसार 7.3792 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव के लिए राशि जमा करावें। | 7.3792        | ..... | 1918860 |

|     |                                                                                                                                                               |               |                |                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 2.  | सी.ए स्कीम के अन्तर्गत आवंटित <b>Non Forest</b> के सीमांकन लिए राशि पीलर बनाने के लिए राशि जमा करवाना। ( <b>Non Forest</b> की परिधि अनुसार)                   | 10            | 10000          | 100000                                        |
| 3.  | वन मण्डल जैसलमेर में अन्तर्गत आने वाले ओरण (डीमड फॉरेस्ट) वनभूमि 7.3792 हैक्टर प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) के रूप में राशि जमा करावे। | 7.3792 हैक्टर | 670140         | 4945097.088                                   |
| 4.  | सी.ए स्कीम के अन्तर्गत आवंटित <b>Non Forest</b> के चारो ओर दीवार बनाने के लिए राशि जमा करवाना।( आवंटित <b>Non Forest</b> की कुल परिधि 1298 मीटर )             | 1298 मीटर)    | 3350<br>Rs/RMt | 4348300                                       |
| कुल |                                                                                                                                                               |               |                | 11312257.<br>088 / -<br><br>Say<br>11312257/- |

- शर्त B के बिन्दु संख्या 4 अनुसार 24 पेड़ों का पातन वन विभाग जैसलमेर के निगरानी में किया जावे एवं पातन किये पेड़ों को विभागीय कार्य मण्डल जैसलमेर को सुपुर्द करवाकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
- Specific Conditions** के बिन्दु संख्या 3 अनुसार 50 हैक्टर वन भूमि में करवाया जाने वाले वृक्षारोपण एवं सम्पूर्ण ओरण भूमि तारबंदी की कार्यआयोजना तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- अगर राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कोई राशि की मांग अथवा वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त अन्तर राशि अदा करने संबंधी अण्डरटेकिंग पत्र प्रस्तुत करें।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय गांधी नगर का पत्र संख्या— 8 बी/राज/11/27/2023—JPR दिनांक 04.08.2023 वर्णित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु, इस कार्यालय में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।

उपरोक्त बिन्दु 1,2 , 3 एवं 4 में वर्णित राशि ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना कर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि विधिवत स्वीकृति वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जा सके।

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीय



(आशुतोष ओझा)

आई.एफ.एस

उप वन संरक्षक

जैसलमेर

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी जैसलमेर को लेख है कि प्रकरण में जब तक अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं होती है तब तक इस कार्यालय की अनुमति के बिना प्रयोक्त अभिकरण को पेड काटने एवं अन्य कोई कार्य आवेदित क्षेत्र में नहीं करने देवे।

उप वन संरक्षक  
जैसलमेर